रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-430/2026/2191/22-2-2025-17(1159)/2023

लखनऊ: दिनांक: 23 अप्रैल, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी दीपक शर्मा(बन्दी संख्या-623/2008) पुत्र श्री धनीराम, निवासी-भूरापीर गली नं0-03, थाना-हाथरस कोतवाली, जनपद-हाथरस, जिसे प्रथम एस०टी०नं0-642/2003 में धारा-302/34 आई.पी.सी. के अन्तर्गत मा० न्यायालय ए०डी०जे०-08, अलीगढ़ के आदेश दिनांक 02.08.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 07.02.2020 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास को यथावत रखा गया। द्वितीय एस०टी०नं0-302/2005 में धारा-302,307/34 आई.पी.सी. के अन्तर्गत मा० न्यायालय ए०डी०जे०/एफ०टी०सी०-01 हाथरस के आदेश दिनांक 08.09.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। प्रथम केस में दिनांक 08.10.2025 तक अपरिहार 21 वर्ष, 02 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 26 वर्ष, 05 माह, 16 दिन एवं द्वितीय केस में दिनांक 23.11.2022 तक अपरिहार 17 वर्ष, 10 माह, 14 दिन तथा 23 वर्ष, 12 दिन की सपरिहार सजा को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट हाथरस के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बंदी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या- 430/2026/2191(1)/22-2-2025 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस।

3- पुलिस अधीक्षक, हाथरस।

4- अधीक्षक, जिला कारागार अलीगढ।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in